# विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती के समापन समारोह की तैयारी की समीक्षा हेतु सचिवालय सभा कक्ष में दिनांक 21.08.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति** :– पंजी के अनुसार।

**कार्यवाही** :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयनती के समापन समारोह का आयोजन 23–25 दिसम्बर, 2017 तक प्रस्तावित है। इस अवसर पर प्रकाशोत्सव के आयोजन में की गयी सभी व्यवस्थाएँ की जानी है।

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा Power point Presentation के माध्यम से विभागवार अपेक्षित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर समीक्षोपरान्त विकास आयुक्त महोदय द्वारा निम्नवत निदेश दिए गए :–

| क्र0 | विभाग | निदेश |
|---|---|---|
| 1. | **जिला प्रशासन पटना** | प्रकाश पर्व की भाँति समापन समारोह के सफल आयोजन के उद्देश्य से 15 कोषांगों एवं 9 जोन का गठन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। सभी कोषांग/जोन के लिए नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।<br>जिलाधिकारी, पटना को सभी विभागों से समन्वय कर सभी कार्यों को ससमय पूर्ण कराने हेतु सतत् अनुश्रवण का निदेश दिया गया। पूर्व की भाँति भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु समुचित कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया। |
| 2. | **पर्यटन विभाग** | 1. समापन समारोह के अवसर पर श्रद्धालुओं के आवासन हेतु बाईपास के निकट टेन्ट सिटी एवं वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जिलाधिकारी, पटना क्रमशः 50 एकड़ एवं 20 एकड़ कुल 70 एकड़ भूमि बाईपास के निकट चिन्हित कर पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराएँगे। चिन्हित रैयती भूमि के फसल क्षतिपूर्त्ति हेतु पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, पटना की अधियाचना पर राशि उपलब्ध करायी जाएगी।<br>2. पूर्व की तरह कंगन घाट पर भी आवासन हेतु टेन्ट सिटी का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी, वैशाली 30 एकड़ भूमि चिन्हित कर पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराएँगे। कंगन घाट पर ली जाने वाली भूमि के मुआवजा हेतु आवश्यक राशि पूर्व की तरह जिलाधिकारी, वैशाली की अनुशंसा पर पर्यटन विभाग द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उपलब्ध करायी जाएगी।<br>3. पर्यटन विभाग द्वारा टेन्ट सिटी के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाएगी।<br>4. कंगन घाट पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति पर्यटन विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. बाईपास एवं कंगन घाट पर प्रस्तावित टेन्ट सिटी की बुकिंग की प्रक्रिया पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।<br><br>6. आयोजन में भाग लेने वाले सम्भावित विशिष्ट अतिथियों की सूची पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी एवं उन्हें ससमय आमंत्रण पत्र भेजने की व्यवस्था की जाएगी।<br><br>7. श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी सामग्रियों यथा– City map, route map, Tourist places की मार्गदर्शिका आदि का मुद्रण पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा।<br><br>8. प्रचार–प्रसार सामग्री, यथा– पोस्टर, होर्डिंग आदि का डिजाइन तैयार कराया जाएगा।<br><br>9. प्रकाश पर्व की भाँति समापन समारोह के अवसर पर भी बेवसाइट पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेन्टर, चिन्हित स्थलों पर LED स्क्रीन, प्रमुख स्थलों पर साइनेज, आदि की व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा करायी जाएगी।<br><br>10. निम्नलिखित निर्माण कार्य को 30.11.17 तक पूर्ण कराने का निदेश पर्यटन विभाग को दिया गया :–<br>(i) गुरुद्वारा परिसर में डीलक्स टॉयलेट का निर्माण ।<br>(ii) कंगन घाट पर पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण।<br>(iii) कंगन घाट का सौन्दर्यीकरण कार्य।<br>(iv) कंगन घाट के पाथवे के अंतिम छोर पर रेलिंग का निर्माण।<br>(v) मंगल तालाब में लेजर शो स्थल पर बैठने हेतु निर्मित गैलरी का विस्तार।<br>(vi) बाड़े की गली में निर्मित पी0सी0सी0 की मरम्मति एवं जल निकासी की व्यवस्था। |
| 3. | **पथ निर्माण विभाग** | 1. गुरु गोविन्द सिंह पथ, गुरु गोविन्द सिंह लिंक पथ, अशोक राजपथ तथा बाजार समिति तक पथों के रख रखाव पथ निर्माण विभाग द्वारा 30.11.2017 तक सुनिश्चित किया जाएगा।<br><br>2. सिटी स्कूल के निकट निर्मित क्रॉस ड्रेन का लेवल को एक माह के अंदर ठीक कराने का निदेश दिया गया।<br><br>3. कंगन घाट से खाजेकला तक पथ का निर्माण समापन समारोह से पूर्व कराने का निदेश पथ निर्माण विभाग को दिया गया।<br><br>4. कंगन घाट पर जाने हेतु निर्मित पथ/पुल की आवश्यक मरम्मति बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा करायी जाएगी।<br>5. बाईपास के निकट प्रस्तावित मुख्य पार्किंग स्थल का समतलीकरण एवं सम्पर्क पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 6. गुरुगोविन्द सिंह लिंक पथ से जल्ला बालाजी महावीर मंदिर तक पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराने का निर्णय लिया गया।<br><br>7. एन0एच0 के सर्विस रोड का निर्माण एवं लाईटिंग कराने का निदेश पथ निर्माण विभाग एवं NHAI को दिया गया। |
| 4 | रेलवे | रेलवे के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की स्थिति में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को रेलवे से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा अपने स्तर से करते हुए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। |
| 5 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 1. बाईपास एवं कंगन घाट पर प्रस्तावित टेन्ट सिटी में पेय जलापूर्त्ति हेतु स्रोत PHED द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।<br><br>2. टेन्ट सिटी में आवासन स्थल एवं पार्किंग स्थल पर Out sourcing Agency द्वारा कराये जानेवाले पेयजल कार्य का पर्यवेक्षण PHED द्वारा किया जाएगा।<br><br>3. टैंकर से जलापूर्त्ति हेतु पूर्व में क्रय किये गये सभी टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टैंकर का Deployment Plan तैयार किया जाएगा। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टैंकर की भी व्यवस्था की जाएगी। |
| 6 | ऊर्जा विभाग | 1. आगामी पर्व–त्योहार को देखते हुए पटना सिटी क्षेत्र एवं गुरुद्वारा के आसपास जर्जर तारों को बदलना एवं Aerial Bunch Cabling कार्य का सुदृढ़ीकरण दशहरा से पूर्व कराने का निदेश महाप्रबंधक, पेसू को दिया गया।<br><br>2. टेन्ट सिटी हेतु चयनित स्थलों पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता का आकलन एवं उपलब्धता ऊर्जा विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।<br><br>3. टेन्ट सिटी, पार्किंग स्थल, कंगन घाट एवं गुरुद्वारा में विद्युत व्यवस्था का पर्यवेक्षण महाप्रबंधक, पेसू सुनिश्चित करेंगे।<br><br>4. चौक शिकारपुर आर0ओ0बी0 के नीचे सुदर्शन पथ के चौड़ीकरण हेतु विद्युत पालों की शिफ्टिंग कार्य को अविलम्ब कराने का निदेश महाप्रबंधक, पेसू को दिया गया। |
| 7 | पटना नगर निगम | 1. पटना नगर निगम द्वारा प्रकाश पर्व की तरह सम्पूर्ण पटना सिटी क्षेत्र एवं पटना शहर की प्रमुख सड़कों की सफाई उत्कृष्ट व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग, उपकरण हेतु आवंटन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।<br><br>2. पटना सिटी क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर स्थायी/अस्थायी प्याऊ चलन्त शौचालय एवं यूरिनल आदि की व्यवस्था भी पटना नगर निगम द्वारा करायी जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. पटना सिटी क्षेत्र में निर्बाध जलापूर्त्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।<br><br>4. गुरु के बाग से अंडर पास हेतु बाईपास तक पथ का निर्माण पटना पटना नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग आवंटन उपलब्ध कराएगा।<br><br>5. पटना शहर एवं पटना सिटी क्षेत्र में सभी हाई मास्ट लाईट एवं स्ट्रीट लाईट को दुर्गा पूजा के पूर्व क्रियाशील कराने का निदेश दिया गया।<br><br>6. पटना सिटी क्षेत्र के चिन्हित घाटों पर बैरिकेडिंग एवं प्रकाश की व्यवस्था पटना नगर निगम द्वारा करायी जाएगी। |
| **8** | **नगर विकास एवं आवास विभाग** | 1. पटना नगर निगम में अन्य जिलों से कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधकों की प्रतिनियुक्ति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जाएगी।<br><br>2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विविध मदों में व्यय हेतु जिला प्रशासन, पटना को आवंटन। |
| **9** | **शिक्षा विभाग** | 1. श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु चयनित विद्यालयों में पूर्व में की गई मरम्मति एवं निर्मित स्थायी शौचालयों, यूरिनल, स्नानागार आदि का रख–रखाव कार्य BSEIDC के माध्यम से कराया जाना।<br><br>2. चयनित विद्यालयों में विद्युत वायरिंग की आवश्यक मरम्मति।<br><br>3. इस कार्य में उपयोग हेतु विद्यालयों को आवंटित करना। |
| **10** | **स्वास्थ्य विभाग** | 1. पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0 तथा गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल में डेडीकेटेड वार्ड की स्थापना की जाएगी।<br><br>2. सभी सुविधाएँ युक्त बाईपास एवं कंगन घाट पर टेन्ट सिटी में 6 बेडेड अस्थायी अस्पताल की स्थापना की जाएगी।<br><br>3. गुरुद्वारा में भी एक अस्थायी अस्पताल की स्थापना की जाएगी।<br><br>4. हेल्प डेस्क एवं आवासन स्थलों पर पूर्व की भाँति चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार अन्य जिलों से पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों/पारा मेडिकल स्टाफ की सेवा सिविल सर्जन, पटना को उपलब्ध कराएगा।<br><br>5. 20 अतिरिक्त एम्बुलेंस, पर्याप्त मात्रा में दवा एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। |
| **11** | **परिवहन विभाग** | 1. श्रद्धालुओं के परिवहन हेतु पूर्व की भाँति निःशुल्क रिंग सर्विस के परिचालन का निर्णय लिया गया। इसके लिए वाहनों की व्यवस्था |

| | | |
|---|---|---|
| | | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा की जाएगी एवं उस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा।<br>2. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पटना सिटी क्षेत्र में ई–रिक्शा/ऑटो रिक्शा के निःशुल्क परिचालन पूर्व की तरह कराया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी की अधियाचना के आलोक में आवंटन परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। |
| 12 | **सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग** | 1. पटना शहर के सभी व्यवसायिक होडिंग को दिसम्बर माह में 15 दिनों के लिए प्रचार–प्रसार हेतु लिया जाएगा। तिथि का निर्धारण सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा किया जाएगा।<br>2. फ्लेक्स, होर्डिंग का डिजाइन पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग होर्डिंग/फ्लेक्स की संख्या का निर्धारण करेंगे।<br>3. समाचार पत्रों में विज्ञापन/रेडियो एवं टी0वी0 चैनलों के माध्यम से भी पूर्ववत प्रचार–प्रसार कराया जाएगा। |
| 13 | **गृह विभाग/ पुलिस महानिदेशक, बिहार** | 1. पुलिस पदाधिकारी एवं बल की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली द्वारा किया जाएगा। तदनुसार पुलिस बलों के मूवमेंट, आवासन, भोजन, ईंधन आदि के लिए आवंटन वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, वैशाली को गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।<br>2. चौक थाना परिसर के सौन्दर्यीकरण एवं फर्नीचर हेतु पुलिस भवन निर्माण निगम को निदेशित किया गया।<br>3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ट्रैफिक प्लान तैयार करेंगे एवं तदनुसार आरक्षी, ट्रॉली, ट्रैफिक पोस्ट आदि की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुलिस बल/आवंटन की माँग गृह विभाग से करेंगे। |
| 14 | **जल संसाधन विभाग** | 1. बाईपास के निकट टेन्ट सिटी एवं पार्किंग हेतु चिन्हित भूमि को 15.10.2017 तक जल जमाव से मुक्त करने हेतु जल निकासी हेतु आवश्यक कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा करायी जाएगी।<br>2. कंगन घाट एवं आस–पास गंगा तट सुरक्षा कार्य। |
| 15 | **आपदा प्रबंधन विभाग** | 1. NDRF/SDRF की प्रतिनियुक्ति।<br>2. आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना। |
| 16 | **कला, संस्कृति एवं युवा विभाग** | समापन समारोह की अवधि में विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कराया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | जिला प्रशासन वैशाली | 1. कंगन घाट पर टेन्ट सिटी के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, वैशाली 30 एकड़ भूमि चिन्हित कर पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराएँगे।<br>2. वैशाली जिला अन्तर्गत कंगन घाट पर भीड़ नियंत्रण, विधि–व्यवस्था संधारण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की जिम्मेवारी जिला प्रशासन, वैशाली की होगी।<br>3. कंगन घाट पर स्थित टोला को खुले में शौच से मुक्त करना। |
| 18 | जिला प्रशासन सारण | 1. पंजाब भवन हेतु चिन्हित भूमि का सीमांकन। |
| 19 | गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी | 1. आयोजन से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम समर्पित करना।<br>2. गुरुद्वारा के अंदर सी0सी0टी0वी0/नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन।<br>3. भीड़ नियंत्रण हेतु केन्द्रीयकृत पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा वोलन्टियर्स की व्यवस्था।<br>4. हेल्प डेस्क पर पंजाबी भाषा के जानकार स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति।<br>5. लंगर की व्यवस्था। |

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

13/9

**आयुक्त,**
पटना प्रमंडल, पटना।

13/9/2017

**प्रधान सचिव,**
नगर विकास एवं आवास
विभाग बिहार।

ज्ञापांक– 2ब०/विविध– 21–37/14, 6177 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 13/09/2017

**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/शिक्षा विभाग/परिवहन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना /जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, वैशाली/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/ महासचिव, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/9/2017

**प्रधान सचिव,**
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।